www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 5 नवंबर 2019

दैनिक जागरण

जो समर्थ बना सके वही सार्थक विद्या है

वकील-पुलिस संघर्ष

देश की राजधानी दिल्ली में तीस हजारी अदालत परिसर में वकीलों और पुलिस के बीच भिड़ंत के बाद देश के अन्य हिस्सों में वकीलों के हड़ताल पर जाने का औचित्य समझना कठिन है। इसकी कहीं कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन देश भर में वकीलों के विभिन्न समूहों ने न्यायिक कार्य से विरत रहना जरूरी समझा। इसके चलते देश के कई उच्च न्यायालयों में भी वादकारियों को निराश होना पड़ा। क्या कोई इस पर विचार करेगा कि वकीलों की हड़ताल से देश भर में जो लाखों परेशान हुए उनका क्या दोष था? आखिर उन्हें किस बात की सजा मिली? कानून की रक्षक पुलिस और कानून के सहायक वकीलों के बीच रिश्ते किस तरह बिगड़ रहे हैं, इसका एक नमूना गत दिवस कानपुर में भी देखने को मिला। यहां वकीलों और पुलिस कर्मियों के बीच मामूली विवाद के बाद वकीलों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय का घेराव करने का फैसला किया। इस घेराव के दौरान पत्थरबाजी के साथ तोड़फोड़ भी की गई। क्या इसकी जरूरत थी? दुर्भाग्य यह है कि अब ऐसा ही अधिक होता है। आखिर विरोध दर्ज कराने के लिए हिंसा का सहारा लेने का क्या मतलब? चिंता की बात यह है कि वकीलों और पुलिस के बीच हिंसक टकराव अब बहुत आम हो गया है।

देश के किसी न किसी हिस्से में वकीलों और पुलिस के बीच रह-रहकर वैसा टकराव देखने को मिलता ही रहता है जैसा पहले दिल्ली और फिर कानपुर में देखने को मिला। इन दोनों घटनाओं के कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश के बिजनौर में वकील और पुलिस आमने-सामने आ गए थे। यह ठीक नहीं कि तीसहजारी अदालत परिसर की घटना का हिंसक विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। गत दिवस भी दिल्ली में कुछ अन्य अदालत परिसरों में वकीलों ने उग्रता तो दिखाई ही, वे पुलिस को निशाना बनाते भी दिखे। निःसंदेह वकीलों और पुलिस के बीच हिंसक टकराव की घटनाओं पर किसी एक पक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इस तरह की घटनाओं में कभी पुलिस का मनमाना व्यवहार जिम्मेदार होता है तो कभी वकीलों का। कई बार दोनों पक्ष समान रूप से जिम्मेदार होते हैं। कहना कठिन है कि तीस हजारी की घटना के लिए कौन कितना जिम्मेदार है, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि दोनों पक्षों की ओर से संयम का परिचय नहीं दिया गया। जब जिसे मौका मिला उसने अराजकता का परिचय दिया। जैसे पुलिस का मनमाना व्यवहार नया नहीं उसी तरह यह भी सही है कि वकीलों के समूह भी जब-तब हिंसा का सहारा लेना पसंद करते हैं। यह एक तरह की भीड़ की हिंसा का ही रूप है। इस पर रोक लगनी जरूरी है।

लटकी भर्तियां

झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण राज्य में हजारों पदों पर होने वाली नियुक्तियां लटक गई हैं। फिलहाल चुनाव के दौरान लगभग दो माह तक सिर्फ उन्हीं पदों पर नियुक्तियां होंगी, जो विभिन्न आयोगों द्वारा विज्ञापित कर दी गई हैं। लगभग दो माह तक राज्य सरकार का कोई विभाग या कार्यालय विभिन्न पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा आयोगों को नहीं कर पाएगा। चुनाव को लेकर जो नियुक्तियां लटक गई हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति है। इसके साथ-साथ हाई स्कूलों में हेडमास्टरों के पदों पर होने वाली बहाली भी लटक गई है। दूसरी तरफ छठी सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया भी बाधित हो सकती है, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने पर राज्य सरकार को निर्णय लेना है। संभावना तो इसकी भी जताई जा रही है कि आचार संहिता लागू होने से शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं की जा सकेगी। भले ही ये भर्तियां आचार संहिता लागू होने के कारण लटकी हैं, लेकिन इसके लिए संबंधित विभाग भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। अधिसंख्य नियुक्तियां जो रुकी हैं, वे या तो आयोगों को समय पर अनुशंसा नहीं भेजने से रुकी हैं या फिर संबंधित नियुक्ति नियमावली गठित नहीं होने के कारण। शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली के गठन में भी कई वर्ष लग गए। राज्य में अभी तक महज दो शिक्षक पात्रता परीक्षा ही हो सकी हैं। इसी तरह अन्य विभागों में भी नियुक्ति नियमावली स्पष्ट न होने या उनमें त्रुटियों के कारण वर्षों तक लटकी रहती हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधीन आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति का भी यही हाल है। नियमित नियुक्ति 10 वर्षों में भी नहीं हो सकी है। विधानसभा चुनावों को लेकर आदर्श आचार संहिता निर्धारित समय पर ही लागू होनी थी। ऐसे में विभागों को कठिन मेहनत कर समय पर नियमावलियां गठित कर नियुक्ति की अनुशंसा भेजने की जरूरत थी। जो भी हो, पदाधिकारियों को इससे सबक लेने की जरूरत है। उम्मीद है कि नए साल में सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही भविष्य में ध्यान रखा जाएगा कि भर्ती प्रक्रिया को इस प्रकार समय से संपन्न किया जाए ताकि चुनावी कार्यक्रम से उनका कोई टकराव न हो, क्योंकि इससे दोहरा नुकसान होता है जहां लोग रोजगार से वंचित रहते हैं और दूसरा सेवाएं प्रभावित होती हैं।

आचार संहिता लागू होने के कारण विभागों में बहालियां लटक गईं, लेकिन इसके लिए विभागीय लापरवाही भी जिम्मेदार है

सरदार की विरासत पर खोखला दावा

ए. सूर्यप्रकाश

सात दशकों तक सरदार पटेल की अनदेखी करने वाला नेहरू-गांधी परिवार अब कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वह लौहपुरुष की विरासत का वारिस नहीं बन पाएगा

सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उनकी विरासत को लेकर फिर से खींचतान शुरू होती दिखी। एक लंबे अर्से तक पटेल की उपेक्षा करने वाली कांग्रेस को यकायक पटेल खास लगने लगे हैं। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पटेल प्रतिबद्ध कांग्रेसी और नेहरू के निकट सहयोगी थे। उन्होंने भाजपा का यह कहते उपहास भी उड़ाया कि वह पटेल की विरासत पर कब्जा करने की जुगत में लगी है। वैसे प्रियंका कांग्रेस की पहली ऐसी नेता नहीं हैं जिन्होंने सरदार पटेल की स्तुतिगान करते हुए भाजपा पर सवाल उठाए कि वह कैसे उनकी विरासत पर दावा कर सकती है? बीते पांच वर्षों में पार्टी के कई और नेता भी ऐसा कर चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा करने में बहुत देर कर दी है, क्योंकि अब कोई उनके रुख से सहमत नहीं दिखता। इसकी वजह यह है कि सरदार को लेकर कांग्रेस पार्टी के मौजूदा दावे खोखले हैं। इस मुद्दे की पड़ताल से पहले हमें भारत को एकजुट करने वाले एकता के सूत्रधार यानी सरदार पटेल की असाधारण उपलब्धियों पर दृष्टि डालनी होगी।

सरदार वल्लभभाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। उन्होंने भारत में करीब 560 रियासतों को मिलाने का असंभव सा काम संभव कर दिखाया था। इन रियासतों के पास विकल्प थे कि वे या तो भारत का हिस्सा बनें या पाकिस्तान का या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। कुछ रियासतों ने भारत और पाकिस्तान के साथ जुड़ने का मन बना लिया, फिर भी भारत के पूर्णतः एकीकरण पर संदेह के बादल मंडरा रहे थे। जैसे हैदराबाद के निजाम और जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान के साथ जाने का निर्णय किया तो भोपाल के शासक स्वतंत्र रहना चाहते थे। ऐसे में पटेल ने इन रियासतों को अपनी सूझबूझ से मनाया और जरूरत पड़ने पर दबाव भी डाला। उनके दृढ़निश्चय के बिना एक भारत का विचार मूर्त रूप नहीं ले पाता। आजादी के समय जो भारत था, भविष्य में उसके बिखरने की और आशंका थी। ऐसे में अपने भौगोलिक एवं राजनीतिक एकीकरण के लिए हम सरदार पटेल के कृतज्ञ हैं। अपनी गिरती सेहत के बावजूद उन्होंने यह भागीरथ काम किया। राष्ट्र को एक कड़ी में पिरोने के दौरान ही 15 दिसंबर, 1950 को उनका निधन हो गया।

कश्मीर को लेकर जहां नेहरू हीलाहवाली में जुटे थे वहीं सरदार पटेल ने महाराजा से विलय की संधि पर हस्ताक्षर करा लिए। उन्होंने सुनिश्चित किया कि पाकिस्तानी हमलावरों ने निपटने के लिए सैनिकों की टुकड़ी समय से श्रीनगर पहुंचे। विलय की संधि पर दस्तखत के अगले दिन ही भारतीय सैनिक वहां पहुंच गए। तब ऐसे विकट हालात थे कि यह कहना कठिन था कि फौजियों को लेकर जा रहा जहाज श्रीनगर हवाईअड्डे पर उतर भी पाएगा या नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी घुसपैठिये भीतर घुस आए थे। सौभाग्य से सैनिकों की पहली टुकड़ी सकुशल हवाईअड्डे पर उतर गई और उसने आसपास के इलाके को सुरक्षित कर लिया ताकि और सैनिकों का आगमन हो सके। भारतीय सेना ने अप्रतिम शौर्य दिखाते हुए कई इलाकों को पाकिस्तानी कब्जे से मुक्त करा लिया। जब सेना पूरी बहादुरी के साथ आगे बढ़ रही थी तब नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र की शरण में जाने का घातक फैसला कर लिया। इस तरह कश्मीर मसले का अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया।

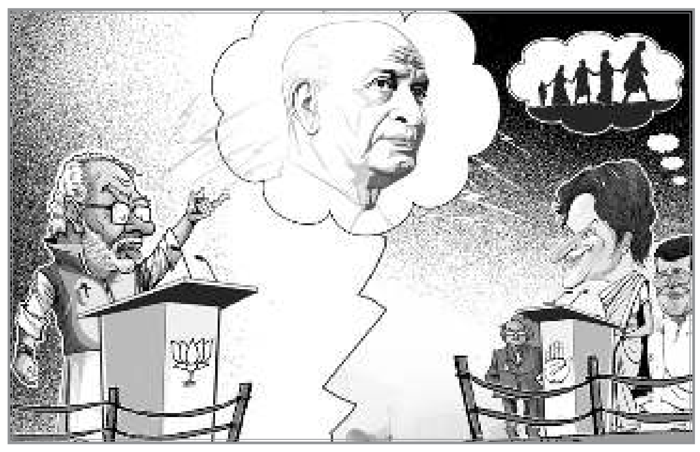

अवधेश राजपूत

सरदार पटेल के व्यक्तित्व में लौहपुरुष की छवि से बढ़कर भी बहुत कुछ है। वह कांग्रेस के अनुशासित सिपाही थे। शायद नेहरू से भी ज्यादा अनुशासित, क्योंकि वर्ष 1946 में उन्होंने पार्टी के लिए असाधारण बलिदान दिया। उस वर्ष कांग्रेस पार्टी को अपना नया अध्यक्ष चुनना था। उसे ही आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनना था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सभी 15 प्रदेश समितियों से नामांकन मंगाए। उन 15 में से 12 समितियों ने सरदार पटेल के नाम पर मुहर लगाई जबकि अन्य समितियों ने किसी का नाम नहीं लिया। यानी नेहरू को एक भी प्रदेश कांग्रेस समिति का समर्थन नहीं मिला। इसके बावजूद नेहरू ने महात्मा गांधी के सामने स्पष्ट कर दिया कि वह किसी के मातहत या नायब बनकर काम नहीं कर सकते। तब गांधी ने हस्तक्षेप किया और पटेल को कदम पीछे खींचने पड़े। यह कांग्रेस पार्टी की एकजुटता के लिए किया गया बलिदान था। आजादी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी एक परिवार के स्वामित्व वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माफिक संचालित होती आई है। उसने नेहरू-गांधी परिवार से जुड़े लोगों के योगदान का तो खूब महिमामंडन किया, लेकिन देश की तमाम अन्य विभूतियों की निरंतर उपेक्षा की। कांग्रेस में यह सिलसिला नेहरू के दौर में ही शुरू हो गया था। सरदार पटेल के अलावा डॉ. भीमराव आंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री जैसे नायक गांधी-नेहरू परिवार के इस दुराग्रह के शिकार हुए। भारत के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में से एक रहे पीवी नरसिम्हा राव को भी पार्टी की बेरुखी झेलनी पड़ी।

सरदार पटेल ने हमें एकजुट भारत दिया, फिर भी नेहरू ने उन्हें भारत रत्न से नहीं नवाजा। इसके बजाय 1955 में नेहरू ने स्वयं को इस सम्मान से अलंकृत किया। इसी तरह 1971 में इंदिरा गांधी ने अपनी ही सरकार में भारत रत्न ले लिया और राजीव गांधी को भी मरणोपरांत 1991 में भारत रत्न दिया गया। इनमें से किसी भी नेता ने पटेल या आंबेडकर को इस सम्मान के लायक नहीं समझा।

आखिरकार गैर-कांग्रेसी सरकारों ने ही इन दोनों महान नेताओं को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। नेहरू-गांधी परिवार देश के दो प्रधानमंत्रियों लाल बहादुर शास्त्री और पीवी नरसिम्हा राव की लोकप्रियता और उपलब्धियों को लेकर भी ईर्ष्यालु रहा। शास्त्री ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग जिताई तो राव ने 1991-96 के दौरान पंजाब में अलगाववाद को जड़ से खत्म किया और भारत को आर्थिक संकट से भी उबारा जब देश को दो सौ टन सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। उनके कार्यकाल के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 50 अरब डॉलर तक हो गया था। वह पांच वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे, मगर जब 2004 में उनका निधन हुआ तो गांधी परिवार ने आदेश दिया कि उनके शव को पार्टी मुख्यालय में न आने दिया जाए।

सौभाग्यवश प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा का निर्माण कराकर उनके योगदान को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। यह दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा है। पटेल के स्मरण से उस राजनीतिक परिवार का चेहरा भी बेनकाब होगा जो अपने दुराग्रह के कारण बीते सात दशकों तक लौहपुरुष की उपलब्धियों की अनदेखी करता रहा। अब वे कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन उनकी विरासत कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। सरदार अब एक अरब से ज्यादा कृतज्ञ लोगों के दिलों में बस गए हैं।

(लेखक प्रसार भारती के चेयरमैन एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

प्रदूषण से निपटने के आधे-अधूरे उपाय

पंकज चतुर्वेदी

जब वायु प्रदूषण की त्रासदी साल के करीब 340 दिनों की हो तो फिर पांच-दस दिन की सम-विषम योजना से क्या फर्क पड़ेगा?

इस बार दीपावली के पहले दिल्ली और उसके आसपास घना स्मॉग छाते ही पंजाब और हरियाणा की सरकारों को कठघरे में खड़ा कर दिया गया कि वे पराली जलाने पर रोक नहीं लगा सकीं, लेकिन हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि दिल्ली-एनसीआर में बारिश के चंद दिनों को छोड़कर पूरे साल वायु प्रदूषण का प्रकोप रहता है। गर्मी में फेफड़ों में जहर भरने का दोष राजस्थान-पाकिस्तान से आने वाली धूल भरी हवाओं को दे दिया जाता है तो ठंड में पराली जलाने को। बीते एक दशक से हर साल सर्दियों के मौसम में दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य शहरों के वायु प्रदूषण की चर्चा होती है। जब यह चर्चा जोर पकड़ती है तो कभी सड़कों पर पानी छिड़क दिया जाता है तो कभी सम-विषम योजना को अमल में ले आया जाता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्य रुकवाने जैसे काम भी किए जाते हैं। दिल्ली में हवा के साथ जहरीले कण घुलने में सबसे बड़ा योगदान (23 फीसदी) धूल और मिट्टी के कणों का है। 17 प्रतिशत हिस्सा वाहनों के उत्सर्जन का है। जनरेटर जैसे उपकरणों का उत्सर्जन 16 प्रतिशत है। वहीं औद्योगिक उत्सर्जन सात फीसद और पराली या अन्य जैव पदार्थों को जलाने से निकले धुएं का हिस्सा 12 प्रतिशत होता है।

इस मौसम में स्वच्छ वायु की खलनायक पराली है, लेकिन केवल वही नहीं। यह अच्छा है कि अब सरकार पराली को खेत में ही जज्ब करने के उपकरण बेच रही है और उसके लिए सब्सिडी भी दे रही है, लेकिन किसान के पास अगली फसल की बोआई के लिए समय कम होता है सो वे पराली जलाने में अपना भला देखते हैं। हरियाणा-पंजाब सदियों से कृषि प्रधान प्रदेश रहे हैं फिर पराली की समस्या हाल के समय में ही क्यों उभरी है? इस सवाल का जवाब उस प्रवृत्ति में छिपा है जिसके तहत रेगिस्तान से सटे पंजाब-हरियाणा में धान की बेहिसाब खेती होने लगी। एक तो भाखड़ा नंगल बांध ने खूब पानी दिया, फिर उपज अच्छी हुई तो किसान ने भूगर्भ का जल जमकर उलीचा। फिर सरकार ने किसानों को बिजली मुफ्त कर दी और जमीन से पानी निकालने पर कोई रोक नहीं रही। इसके अलावा जितना भी धान उगाओ, उसकी सरकारी खरीद की गारंटी। इस समय देश में चावल का 110.28 लाख मीट्रिक टन और धान का 237.28 लाख मीट्रिक टन सुरक्षित स्टॉक रखा हुआ है, जबकि हमारे यहां चावल की सालाना मांग इससे एक चौथाई भी नहीं है। क्या ऐसे हालात में धान की खेती को हतोत्साहित करने की जरूरत नहीं है? जो धान जमीन का पानी पी जाता है, जिस धान की खेती में लगाए गए रसायन से जमीन और जल स्रोत जहरीले होते हैं उस धान की जगह किसानों को फल-सब्जी उगाने को क्यों नहीं तैयार किया जाता?

इस साल हरियाणा सरकार ने पानी बचाने के इरादे से धान की जगह मक्के की खेती करने वालों को निशुल्क बीज और पांच हजार रुपया अनुदान की जो घोषणा की वह सराहनीय है, लेकिन बात तब बनेगी जब पंजाब में भी एसा हो। इसका कोई अर्थ नहीं कि हरियाणा और पंजाब के किसान पानी की ज्यादा खपत वाली धान की खेती करें। यहां एक किलो धान पैदा करने में 5389 लीटर पानी की खपत होती है। वहीं बंगाल में एक किलो धान उगाने के लिए केवल 2713 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। साल 2014-15 में भारत ने करीब 37 लाख टन बासमती चावल का निर्यात किया। 37 लाख टन बासमती चावल उगाने के लिए 10 खरब लीटर पानी खर्च हुआ। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि भारत ने 37 लाख टन बासमती चावल के साथ 10 खरब लीटर पानी भी दूसरे देश को भेज दिया जबकि पैसे केवल चावल के मिले। यही चावल वायु प्रदूषण का भी कारण बना है।

भले ही दिल्ली में वातावरण के जहरीले होने पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई हो और पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई की गई हो, लेकिन हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि दिल्ली में जगह-जगह पर लगने वाले जाम को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। जब तक दिल्ली में वाहनों की संख्या कम करने और यहां की आबादी को नियंत्रित करने के कड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक प्रदूषण का मर्ज दूर नहीं होने वाला। दिल्ली में वाहनों की सम-विषम योजना भले ही तात्कालिक कुछ राहत दे दे, लेकिन इसका कोई दूरगामी असर नहीं होने वाला। दो साल पहले जब एनजीटी ने कड़ाई से यानी-बगैर दोपहिया या महिलाओं को छूट दिए सम-विषम लागू करने का निर्देश दिया था तो दिल्ली सरकार ने ही अपने कदम खींच लिए थे। एनजीटी के तत्कालीन अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार की पीठ ने कहा था कि यातायात धीमा होने या फिर लाल बत्ती पर वाहनों के अटकने से हर रोज तीन लाख लीटर ईंधन जाया होता है, जिससे दिल्ली की हवा दूषित होती है। समाज और सरकार दिल्ली में घुटते दम पर चिंता तो जाहिर कर रही, लेकिन एनजीटी के उक्त निष्कर्ष पर गंभीरता नहीं दिखा रही है।

यदि दिल्ली और साथ ही उत्तर भारत के एक बड़े इलाके को रहने लायक बनाना है तो न केवल सड़कों पर वाहन कम करने होंगे, बल्कि जाम की समस्या से भी पार पाना होगा। सनद रहे कि वाहन सीएनजी से चले या फिर डीजल या पेट्रोल से, यदि उसमें क्षमता से ज्यादा वजन होगा तो उससे निकलने वाला धुआं जानलेवा ही होगा। यदि दिल्ली को एक अरबन स्लम बनने से बचाना है तो कथित लोकप्रिय फैसलों से बचना होगा। जब वायु प्रदूषण की त्रासदी साल के करीब 340 दिनों की है तो फिर पांच-दस दिन की सम-विषम योजना से क्या फर्क पड़ेगा? राजधानी क्षेत्र में साठ फीसद वाहन दोपहिया हैं, लेकिन वे सम-विषम योजना से बाहर हैं। आल इंडिया परमिट वाले और ओला-उबर जैसी कंपनियों के डीजल वाहन भी इस पाबंदी में चलते ही हैं। जाहिर है कि महज 25 फीसदी लोग ही इसके तहत सड़कों पर अपनी कार लेकर नहीं आ पाएंगे। नए मापदंड वाले वाहन यदि पहले गियर में रेंगते हैं तो उनसे सल्फर डाई आक्साईड और कार्बन मोनो आक्साईड की बेहिसाब मात्रा उत्सर्जित होती है। साफ है कि हरियाणा और पंजाब में पराली जलना रुकना ही चाहिए, लेकिन इसी के साथ दिल्ली वालों को खुद द्वारा उत्सर्जित प्रदूषण पर लगाम लगानी होगी।

(लेखक पर्यावरण मामलों के जानकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

भाग्य की प्रबलता

श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया है कि कर्म और भाग्य में से कर्म सदा मनुष्य के अधीन रहता है। इसीलिए मनुष्य कर्म निर्धारित कर जीवन में सफलता के रास्ते पर चल पड़ता है। किंतु भाग्य पर मनुष्य का कोई वश नहीं होता और इसके लिए यह चाहे जितना प्रयत्न करे, इस पर नियंत्रण कर पाना मनुष्य के लिए सदा असंभव ही रहा है। यही कारण है कि भाग्यवादी जब कभी भी भाग्य की प्रबलता का उल्लेख करते हैं तो वे इस देश की परंपरा के अनेक उन आख्यानों का उल्लेख करते हैं, जिनमें घटित घटनाएं सच में आश्चर्यचकित कर यह सोचने को विवश कर देती हैं कि निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं का सूत्रधार कोई न कोई ऐसा तो है ही, जिसकी सबलता के सामने किसी की भी नहीं चलती, यहां तक कि नर रूप में अवतरित होकर आया हुआ परम पुरुषोत्तम भी कभी-कभी उन स्थितियों में हारा हुआ जैसा दिखाई देता है।

सर्व समर्थ परमपिता परमेश्वर नर रूप में आने के लिए वसुदेव और देवकी को चुनते हैं जो किसी के लिए भी परम सौभाग्य का विषय हो सकता है, किंतु इन दोनों का दुर्भाग्य देखिए कि देवकी अपने ही सहोदर के द्वारा पति सहित जेल में डाल दी जाती हैं और कंस के द्वारा मारे जाने वाले अपने दूसरे छह बेटों का वध होते हुए देखने पर विवश हुईं, वहीं पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को छिपकर भागना पड़ता है। ऐसे ही समुद्र मंथन में देव और दानव सभी उपस्थित थे, किंतु विधि-विचित्रता देखिए कि सर्वांग सुंदरी लक्ष्मी को भगवान विष्णु ले गए और विष महादेव के हिस्से में आया। दशरथ नंदन श्रीराम के लिए तो यह कहा जाता है कि वह साक्षात धर्म के अवतार थे, किंतु विधि के विधान पर उनको भी वनवास भोगना पड़ा। सत्यवादी हरिश्चंद्र विधि-विपरीतता से सपत्नीक न केवल दास बने, अपितु उनको तो अपने पुत्र की मृत्यु पर उसके लिए कफन के रूप में पत्नी की आधी साड़ी लेनी पड़ी। ऐसी तमाम घटनाएं और भी हैं, जिन पर किसी का वश नहीं होता, इसलिए विरक्त संत और शास्त्र कहते हैं कि हम उस परम परमेश्वर को कभी न भूलें, जो विधि या भाग्य का भी संचालक है।

डॉ. गदाधर त्रिपाठी

बीमार मानसिकता की निशानी

डॉ. मोनिका शर्मा

ट्रेन होस्टेस के साथ दुर्व्यवहार से सवाल उठता है कि बेहतर सुविधाएं चाहने वाले लोग सभ्य नागरिक क्यों नहीं बनना चाहते

बड़े उत्साह के साथ शुरू की गई निजी क्षेत्र की पहली ट्रेन तेजस एक्सप्रेस के संचालन में एक अजीब परेशानी सामने आई है। यह कोई तकनीकी या परिचालन संबंधी नहीं, बल्कि मानवीय व्यवहार से जुड़ी है। इसकी केबिन होस्टेस के साथ कुछ यात्री अशिष्टता से पेश आ रहे हैं। वे जबरन फोटो खींचने या वीडियो बनाने लग जाते हैं। कई मुसाफिर बिना वजह बटन दबाकर होस्टेस को बुलाते हैं। अफसोस कि कुछ यात्री तो छेड़खानी करने से भी बाज नहीं आ रहे। ऐसी सभी बातें केबिन होस्टेस के तौर पर काम रही लड़कियों को असहज कर रही हैं। दरअसल, ऐसी सभी हरकतों का सीधा संबंध इंसान की मानसिकता से ही है। उस मानसिकता से जिसमें न तो श्रम का सम्मान है और न ही महिलाओं का मान। तभी तो आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस ट्रेन में आराम से यात्रा करने के बजाय कुछ लोग ट्रेन होस्टेसेस के साथ ऐसा शर्मनाक व्यवहार कर रहे हैं।

अपना दायित्व निभा रही लड़कियों के लिए यात्रियों का यह रवैया असुरक्षा का भाव भरने और तनाव देने वाला है। यही वजह है कि तेजस एक्सप्रेस के यात्रियों को ट्रेन होस्टेस से सलीके से पेश आने के लिए अब ट्रेन में अनाउंसमेंट तक करने की नौबत आ गई है।

विचारणीय है कि जिस तेजस एक्सप्रेस में यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की गई हैं, उसमें सफर करने वाले लोगों का यह अभद्र व्यवहार किस मानसिकता की बानगी है? आखिर क्यों ऐसी सोच जड़ें जमाए हैं, जिसमें न किसी की निजता का खयाल है और न ही शालीन बर्ताव की समझ। तेजस ट्रेन के संचालन के शुरुआती समय से ही ट्रेन में अपनी ड्यूटी पर डटीं होस्टेसेस के साथ उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। किसी भी कार्यक्षेत्र से जुड़ी आम कर्मचारी की तरह काम कर रही इन महिलाओं और युवतियों के लिए यह सीधे-सीधे निजता के हनन का मामला है। कार्यस्थल पर प्रताड़ित किए जाने का मसला है। सवाल है कि स्मार्ट सुविधाएं चाहने वाले लोग सभ्य नागरिक क्यों नहीं बनना चाहते? यात्रा करते हुए सलीके से बर्ताव करने के बजाय ऐसी ओछी हरकतें करने का आखिर क्या औचित्य है?

विडंबना ही है कि कोई भी कार्यक्षेत्र हो, औरतों को देह के परे देखने की सोच अब भी नदारद है। तभी तो ट्रेन होस्टेसेस के साथ कुंठा भरा ऐसा अशालीन व्यवहार देखने को मिल रहा है। इसमें कोई दोराय नहीं कि आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता में इजाफा होना जरूरी है। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में ऐसे नए कार्यक्षेत्रों का विस्तार होना सुखद है। दुर्भाग्यवश, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कामकाजी महिलाओं के जीवन का दंश बन गया है। सेवा उद्योग में कार्यरत महिलाओं को यह पीड़ा कुछ ज्यादा ही झेलनी पड़ती है, क्योंकि इस क्षेत्र में वे अभद्र सोच वाले लोगों का आसान शिकार होती हैं। सवाल है कि स्मार्ट सिटीज और डिजिटल जीवनशैली की चाहत रखने वाले लोग प्रगतिशील सोच का दामन कब थामेंगे?

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

ईयू का मकसद समझे विपक्ष

'यूरोपीय सांसदों संग व्यर्थ की कवायद' शीर्षक से लिखे लेख में विवेक काटजू ने जिस तरह से यूरोपीय संघ के सांसदों के श्रीनगर दौरे के संदर्भ में विपक्षी एवं मीडिया के कुछ वर्गों की बेबुनियाद कवायद का जिक्र किया, वह वाकई में विपक्ष एवं उन मीडिया वर्गों की नादानी कही जा सकती है, क्योंकि इस दौरे का उद्देश्य शायद वे समझ नहीं पा रहे हैं। परिणामस्वरूप भारत सरकार के समक्ष ऐसे प्रश्न खड़े कर रहे हैं जिससे इस मसले का दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं। यह बात निराधार नहीं कि इस दौरे के जरिये कोई खास उद्देश्य नहीं था, लेकिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आए दिन इसकी गलत तस्वीर पेश करने और दुष्प्रचार करने में जुटा है। इन यूरोपीय सांसदों के दौरे का उद्देश्य था पाकिस्तान की ऐसी कुत्सित चालों की काट की जाए और दुनिया को हकीकत बताई जाए। हालांकि यह सर्वविदित है कि इन घटनाओं से मौजूदा सरकार पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन उन विपक्षी दलों को यह समझने की दरकार है कि मौजूदा सरकार द्वारा यदि इस तरह के कोई कदम उठाए जा रहे हैं तो उसका वास्तविक मकसद क्या है, उसके बाद ही उनके द्वारा कोई विरोधी कदम उठाए जाएं, अन्यथा उनके इस तरह के विचारों का आशय होगा देश-विरोधी तत्वों को जन्म देना जो देश के साथ-साथ खुद उन दलों के लिए भी हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं।

आरके आशुतोष, सारण

महाराष्ट्र में सत्ता संग्राम

महाराष्ट्र में सत्ता की कड़ाही में दूध उफान पर है, पर ज्यादा के चक्कर में कहीं मुंह न जल जाए? हालांकि जनता का

मेलबाक्स

जनादेश तो भाजपा और शिवसेना महागठबंधन के पक्ष में गया, लेकिन 50-50 के तथाकथित फार्मूले में दोनों पक्ष हताहत होते दिखाई दे रहे हैं। क्या ढाई-ढाई साल मुख्यमंत्री रह कर प्रदेश के हितों की रक्षा की जा सकती है? संकल्प पत्र के वादों को निभाया जा सकता है? क्योंकि जब तक नया मुख्यमंत्री पुराने मुख्यमंत्री के कार्यकाल की गतिविधियों को समझेगा तब तक कार्यकाल पूरा हो चुका होगा। तब संकल्प पत्र के मायने क्या रह जाएंगे? राज्य की जनता और जनकल्याणकारी योजनाओं, प्रदेश के विकास परियोजनाओं, चौतरफा घिरे किसानों की असीम समस्याओं के निदान आदि का क्या होगा? आखिर गठबंधन पार्टियों में सत्ता पर काबिज होने वाली लडाई से उपजे अंदरूनी कलह में जनता के जनादेश का अपमान क्यों किया जा रहा है?

दीपक गौतम, सोनीपत

अधिकारों का हनन

दिल्ली में पहले ही केंद्र सरकार ने नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत ट्रैफिक नियमों की अवमानना की चालान राशि में भारी वृद्धि कर दी है। अब केजरीवाल सरकार भी ऑड-इवेन के नाम पर भारी जुर्माना लगा रही है। प्रदूषण घटाने का यह फार्मूला बाहरी वाहन चालकों के राजधानी में प्रवेश के संवैधानिक मौलिक अधिकारों का हनन करता है। इस तरह की वैधानिक व्यवस्था भारत वर्ष के अन्य शहरों में किसी सरकार ने नहीं लगाई है। अगर किसी को व्यवसाय, पारिवारिक सुख- दुख के कारण अपना वाहन दिल्ली में लाना है तो वह नहीं ला सकता है। इस तरह से यह कानून जनता के लिए कष्टदायी है। लोगों पर इस तरह जुर्माना थोपना समस्या का स्थाई समाधान नहीं है। टैक्सी एवं ऑटो चालक इसी आड़ में अनुचित किराया वसूल लेते हैं।

युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

पर्यावरण पर एकजुटता

आसियान दशों से भारत की जुगलबंदी उद्योग जगत के लिए नए-नए अवसर खोज लाएगी। यह वाकई बेहद खुशी की बात है कि थाईलैंड में भारत के आदित्य बिरला ग्रुप ने अपने करोबार के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री ने आसियान सम्मेलन के मंच से भारत को निवेश के नजरिये से एक बेहद आकर्षक बाजार बताया है, पर इन सभी बातों में कहीं एक मुद्दा बहुत पिछड़ा हुआ नजर आता है। हम जहां एक तरफ विश्व को एक बड़ा बाजार बनाने पर उतारू हैं, वहीं पर्यावरण की चिंता, प्रदूषण, हरियाली को बचाना जैसे तमाम मुद्दे कहीं पिछड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। सवाल ये है कि जब तमाम देशों के बीच उद्योगों, रक्षा मसौदों आदि को लेकर बड़े-बड़े समझौते हो सकते हैं तो फिर पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर पूरा विश्व एक साथ क्यों नहीं खड़ा होता?

vaishali.datalogic@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।